आवेदन पत्र संख्याः N- ....

उत्तर प्रदेश राज्य में एक, दो एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय नई संस्था खोलने हेतु आवेदन–पत्र के साथ–साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों की चेक लिस्ट

कृपया निर्धारित आवेदन–पत्र निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर को प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिय जाय कि उसके साथ निम्नलिखित अनुलग्नक संलग्न कर दिये गये हैंः–

अनुलग्नक	विषय सूची	स्थिति
I	सोसाइटी / ट्रस्ट के पंजीकरण / पंजीकरण नवीनीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि, सोसाइटी / न्यास के संविधान, संयोजन ज्ञापिका के सत्यापित ब्योरे के साथ।	हां / नहीं
II	यदि भूमि राज्य की राजधानी / मेट्रोपोलिटन सिटी अन्य स्थानों यथा जिला मुख्यालय की नगर निगम सीमा के अन्तर्गत शामिल होने का दावा किया गया है, तो भूमि के वर्गीकरण हेतु राज्य सरकार के नाम निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से भूमि की अवस्थिति के संबंध में प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि।	हां / नहीं
III	आवेदक सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम में पंजीकृत भू–दस्तावेजों की प्रतिलिपि दाखिल–खारिज के साथ।	हां / नहीं
IV	प्रस्तावित संस्था के लिए भूमि निश्चित करने संबंधी आवेदक सोसाइटी / ट्रस्ट के संकल्प–पत्र की प्रतिलिपि।	हां / नहीं
V	राज्य सरकार द्वारा यथा–नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त भू–उपयोग परिवर्तन प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि।	हां / नहीं
VI	इस प्रस्ताव हेतु आवेदक सोसाइटी / ट्रस्ट के पास उपलब्ध सावधि जमा रसीदों, बचत बैंक खाते / चालू खाते की फोटो प्रतियों सहित निधियों की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा।	हां / नहीं
VII	अनुमोदित भवन निर्माण योजना की प्रतिलिपि।	हां / नहीं
VIII	यदि भवन निर्मित है तो भवन के बाहरी एवं आंतरिक फोटोग्राफ जो आवेदक द्वारा मोहर सहित विधिवत अनुप्रमाणित और दिनांकित करके संलग्न किये जायें।	हां / नहीं
IX	भूमि के बन्धक न होने सम्बन्धी बारह वर्षीय भारमुक्त प्रमाण–पत्र।	हां / नहीं

विशेष नोट : यदि आवेदन–पत्र में उपर्युक्त में से किसी एक की भी कमी है तो आवेदन–पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन–पत्र का मूल्य रू0 5000 / – बैकड्राफ्ट, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के पक्ष में एवं लखनऊ देय हो, को आवेदन के साथ मूलरूप में संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट न प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र संख्याः N- ....

उत्तर प्रदेश राज्य में
एक, दो एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय नई संस्थायें खोलने हेतु
निर्धारित आवेदन–पत्र सहित

विवरण–पुस्तिका

(शैक्षिक सत्र 2010–11 हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : 31.12.2009)

प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश

BTEUP.COM
BTEUP.COM

BTEUP.COM

विषय सूची

क्र0	विषय
1–	शैक्षिक सत्र 2010–11 से निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय नयी संस्था की स्थापना, पूर्व स्थापित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्था में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, संचालित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में बृद्धि/अनुमोदन विस्तार करना आदि से संबन्धित ''विज्ञप्ति''।
2–	आवेदकों हेतु आवश्यक निर्देश
3–	आवेदन–पत्र के लिए चेक लिस्ट/अनुलग्नकों की सूची
4–	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश (छैः)
5–	निर्धारित आवेदन–पत्र (कोड–N)

———————————————————————

आवेदकों हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक, दो एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रवेश क्षमता में परिवर्तन तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत् बढ़ाये जाने की नीति एवं प्रक्रिया का निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा निर्धारण किया है।

(1) **तीन वर्षीय (दो वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी को सम्मिलित करते हुए) पाठ्यक्रमों हेतु**
शासनादेश संख्याः 2697/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46(8)/2002, दिनांक 20.12.2003 एवं संशोधित शासनादेश सं0 1194/16–प्रा0शि0–3–2007–46(8)/2002 दिनांक 29.10.07

(2) **एक एवं दो वर्षीय (फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर) पाठ्यक्रमों हेतु**
शासनादेश संख्याः 3063/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46(8)/2002, दिनांक 20.12.2003 एवं संशोधित शासनादेश सं0 1192/16–प्रा0शि0–3–2007–46(8)/2002 दिनांक 29.10.07

पुनः संशोधित शासनादेशः–

(3) शासनादेश संख्याः 1487/16–प्रा0शि0–03–2008–46(8)/2002, दिनांक 31.07.2008

(4) शासनादेश संख्याः 2427/16–प्रा0शि0–03–2009–46(8)/2002, दिनांक 09.11.2009

2. उक्त शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उनमें निहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में **शैक्षिक सत्रः 2010–11** हेतु निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर द्वारा दिनांक 30.11.2009 को एक अधिसूचना/विज्ञापित जारी की गयी है। सूचना के आधार पर निर्धारित प्रपत्र/आवेदन–पत्र (कोड–N) पर पात्र एवं इच्छुक आवेदकों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। इस संबंध में **निर्धारित आवेदन–पत्र (Non-transferable) सहित विवरण–पुस्तिका का मूल्य रू0 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 के पक्ष में एवं लखनऊ में देय हो,** की मूल प्रति एवं आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मूल प्रति सहित पॉच प्रतियों में भरकर सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर को उपयुक्त आवरण–पत्र (जिसके साथ संलग्नकों की पूर्ण सूची/चेक लिस्ट लगी हो) के साथ प्रस्तुत करना होगा। सैत्रिक सत्र 2010–11 हेतु पूर्णतः भरे हुए आवेदन–पत्र को जमा करने की अन्तिम तिथि 31.12.09 निर्धारित है।

3. आवेदन–पत्र के किसी मद अथवा खण्ड को खाली न छोड़ा जाय, यदि वह लागू न हो, तो उसके सामने **''लागू नही (Not-applicable)''** अंकित करें, अन्यथा आवेदन–पत्र को अपूर्ण माना जायेगा एवं उसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

4. उक्त नीति के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित निजी क्षेत्र की संस्थायें निर्धारित ''विधि एवं प्रक्रिया'' के अनुपालन के उपरान्त खोली जायेंगी। पंजीकृत सोसाइटी के अतिरिक्त किसी भी वैध ढंग से गठित ट्रस्ट, अर्धसरकारी संस्था अथवा निकाय द्वारा भी डिप्लोमा संस्थायें खोली जा सकेंगी।

5. संस्थाओं को भूमि, भवन, उपकरणों, पुस्तकों एवं स्टाफ आदि के संबंध में प्राविधानों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम हेतु ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों का अनुपालन करना होगा, तभी निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार यथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र/अनुमोदन/स्वीकृति/सम्बद्धता प्रदान करना सम्भव होगा। संस्था को निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क तथा धरोहर धनराशि के सम्बन्ध में शासनादेशानुसार कार्यवाही करनी होगी। संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम–1962 (यथासंशोधित–1966, 1974) के अन्तर्गत प्राविधक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता, यदि पूर्व में प्राप्त नहीं है, प्राप्त करनी होगी।

6. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सम्पादित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही अभ्यर्थियों को डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश दिये जायेंगे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों से लेना होगा।

7. दो वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम को एआईसीटीई तथा पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदनोपरान्त प्रारम्भ किया जा सकेगा।

उपरोक्त संबंध में विवरण–पुस्तिका में संबंधित शासनादेशों की प्रतियां उपलब्ध हैं, जिनका अवलोकन कर विस्तृत मार्ग–निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन हेतु आवेदक को सूचित है कि उन्हें सम्बन्धित निर्धारित आवेदन–पत्र पर ही आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदक संबंधित शासनादेश के अनुसार निर्धारित आवेदन–पत्र पर अलग–अलग आवेदन करना होगा। उक्त अन्तिम तिथि (दिनांक 31.12.09) के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र पर आगामी शैक्षिक सत्र 2011–12 के लिए विचार किया जायेगा।

यदि उक्त दोनों शासनादेशों के पाठ्यक्रमों के लिए एक साथ आवेदन करने के इच्छुक हैं तो अलग–अलग आवेदन पत्र क्रय करने होंगे एवं उक्त सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, राजकीय पालीटेक्निक परिसर, विकास नगर, कानपुर–208002 (दूरभाष : 0512–2582084) कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर